संख्याः / XXIV–2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 16 मार्च ,2005

विषयः माध्यमिक शिक्षा के अधिष्ठान योजनान्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/43779/पु0विनियोग/2004–05 दिनॉक 24 फरवरी, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में सलग्न बी.एम. –15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार माध्यमिक शिक्षा के अधिष्ठान योजनान्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से आयोजनागत पक्ष में रू0 2,00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत की जा रही धनराशि को नियोजन विभाग द्वारा संबंधित योजनाओं में आवंटित परिव्यय सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का दायित्व शिक्षा निदेशक का होगा।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया

जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः—

1— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2— यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हों।

3— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4— आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शाासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

5— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या— 11 के अधीन लेखा शीर्षक " 2202—सामान्य शिक्षा— 02 —माध्यमिक शिक्षा— आयोजनागत —001'निदेशन तथा प्रशासन—03 —माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान के अधीन संलग्नक बी.एम.—15 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/ सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 430/वित्त/3/04/05 दिनॉक 11/3/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

सॅख्याः515(1)/ XXIV–2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त विभाग/ नियोजन प्रकोष्ठ।
6– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त विभाग
संख्या 430 /XXVII(4)/200
देहरादून दिनांक- 11/3/ 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

11/3/2005
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल।

संख्या 515 (1)/XXIV(2)/200 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2- वित्त संसाधन शाखा उत्तरांचल शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

धनराशि हजार में

प्रपत्र -बी0एम0 15 पैरा 156

प्रशासनिक विभाग-मानव संसाधन विभाग

नियन्त्रक अधिकारी-अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2004-05

आयोजनागत

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानितव्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202-सामान्य शिक्षा				2202-सामान्य शिक्षा			
02-माध्यमिक शिक्षा (आयोजनागत)				02-माध्यमिक शिक्षा(आयोजनागत)			
001-निदेशन तथा प्रशासन				001-निदेशन तथा प्रशासन			
03-माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान				03-माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान			
17किराया,उपयुल्कऔर कर सामिल				19विज्ञापन,निकीऔर विख्यापन व्यय	250	0	
प्राविधानित धनराशि 200	0	0	200	धनराशि 200			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मेन्युवल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 का उल्लंघन नहीं होता है।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव